आदेवा

:: कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास) छिन्दवाडा म0प्र0 ::

:: प्रमाण पत्र ::

कमांक/2382/वनअधिकार/आवि/2014 छिन्दवाडा, दिनांक 03/6/14

1 प्रमाणित किया जाता है कि विकास खंड जुन्नारदेव अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत मार्ग रामपुर से चंदनिया कोयलवाडी का वन क्षेत्र में 3.789 हेक्टेयर वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी उपयोग में वन भूमि व्यपर्तन हेतु प्रस्तावित है । अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है ।

2 अभिलेखो के आधार यह पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत कांगरा ग्राम चंदनिया कोयलवाडी विकास खंड जुन्नारदेव में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत मार्ग रामपुर से चंदनिया कोयलवाडी का वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग में अतिरिक्त 3.789 हे0 वनभूमि है । व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 3.789 हे0 वनभूमि पर उसके दोनो और निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है ।

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है । प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की जा चुकी है ।

4 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एंव निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था।

5 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है ।

6-- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन व्दारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है ।

कलेक्टर,
जिला छिन्दवाडा

पृ0क0/2382/वनअधिकार/आवि/2014 छिन्दवाडा, दिनांक 03/6/14

प्रतिलिपिः-

1. वन संरक्षक,वनवृत्त छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. वनमंडलाधिकारी पश्चिम वनमंडल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव की ओर की ओर सूचनार्थ ।
4. महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वियन इकाई 3 छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला छिन्दवाडा

DM/ Pl keep it in record.

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
1055
RECEIPT
22/8/14
इकाई क्र. 3 छिन्दवाडा